न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 255–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 259/अपील/11–12.

दरबारसिंह पिता पर्वतसिंह
निवासी ग्राम मझानिया
तहसील व जिला शाजापुर .....आवेदक

विरूद्ध

देवीलाल पिता बनेसिंह
निवासी ग्राम मझानिया
तहसील व जिला शाजापुर .....अनावेदक

श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–56/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 से अनावेदक देवीलाल को बिना सूचना दिये कोटवार पद से पृथक कर दिया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–2–12 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त

किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–11–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व कोटवार विकलांग था, इसीलिए आवेदक की नियुक्ति तहसील न्यायालय द्वारा की गई है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी आवेदक के पक्ष में ही पारित हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की अस्थायी नियुक्ति की गई थी, इसलिए अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं कर निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, और निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक के पिता ग्राम कोटवार था, इसलिए उसकी मृत्यु उपरांत अनावेदक को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर अनावेदक की नियुक्ति हुई थी, अतः अनावेदक को कोटवार पद से हटाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था ।

(3) कोटवारी पद सिविल पद माना गया है, अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 (2) के अनुसार कोटवार का पद सिविल होने के कारण धारा 302 (11) के अंतर्गत संरक्षक का अधिकार है, और उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है ।

(4) अनावेदक के पिता द्वारा लगभग 40 वर्ष तक कोटवार पद पर कार्य किया गया है, और अनावेदक द्वारा भी काफी विकास कार्य किया गया है, इसलिए भी उसकी सेवा समाप्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(5) अनावेदक पर निराधार आरोप लगाकर उसे पद से पृथक किया गया है, जबकि अनावेदक के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ।

तर्कों के समर्थन में 2003 आर.एन. 448 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना विधिवत प्रकिया अपनाये, बिना अनावेदक को कारण बताओ सूचना पत्र दिये, उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये कोटवार पद से पृथक करते हुए अन्य कोटवार की नियुक्ति की गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही होकर नियमानुसार नहीं है । तहसील न्यायालय के प्रकरण से यह परिलक्षित नहीं होता है कि तहसीलदार अनावेदक के कार्य से असंतुष्ट थे । इस प्रकार अनावेदक को कोटवार पद से पृथक किये जाने का कोई कारण नहीं होते हुए भी तहसीलदार द्वारा उसे कोटवार पद से पृथक किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं होकर मनमानी कार्यवाही है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर